

## भाग—II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7. परियोजना स्कीम का स्थान

1. राज्य संघ शासित क्षेत्र
2. ज़िला
3. वन प्रभाग
4. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेएर में)
5. वनभूमि की कानूनी स्थिति
6. हरियाली का घनत्व
7. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. 2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मीटर संलग्न किये जाए)
8. भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
9. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
10. क्यों फार्म राष्ट्रीय उदयान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)
11. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजान की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबन्धी व्यौरा दें।
12. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।
8. प्रस्तावित एजेन्सी द्वारा भाग—1 कॉलम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जॉचे गए विवरण के व्यौरे के मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन संबन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कोटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद के विभिन्न मार्गों के किनारे वाटर डिस्ट्रिब्यूशन लाइन के बिछाने हेतु प्रस्ताव

FP/UP/WATER/155109/2022

उत्तर प्रदेश

जालौन

साठोवां वन प्रभाग, उरई (जालौन)

4.7727 हेक्टेएर

संरक्षित वन

0.1

0

संलग्न है

भू क्षरण के लिये क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।

0 किमी०

नहीं

नहीं

नहीं

प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।

नहीं

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेतर

क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी  
भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

संलग्न है

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेतर/अवक्षित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के वितरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय

संलग्न है

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12. विभाग/जिला प्रोफाइल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल

(ii) जिले का वन क्षेत्र

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित बनेतर भूमि

(ख) बनेतर भूमि पर

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वनभूमि पर

(ख) बनेतर भूमि पर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लाने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संलग्न है

प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

कोई नहीं।

4565 वर्ग किमी।

25639.35 हेठो

13 मामले (166.63 हेठो)

166.63 हेठो

166.63 हेठो

0.00 हेठो

166.63 हेठो

0.00 हेठो

प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि - 26/05/2022

स्थान - उरई.

166.63  
उप वन संरक्षक  
जालौन सांस्कृतिक विकास बोर्ड  
जालौन सांस्कृतिक विकास बोर्ड (वर्कशॉप)